न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 02 / 2020

पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह,निवासी सिरसोंदा तहसील व पो0आ0 रूपवास जिला भरतपुर ।

बनाम

उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.01.2020**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री पुरूषोत्तम पुत्र चरनसिंह,निवासी सिरसोंदा तहसील व पो0आ0 रूपवास जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 04.12.2019 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। लोक सूचना अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 12 दिनांक 07.01.2020 के द्वारा उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र कमांक / 664 दिनांक 16.01.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने का निवेदन किया है । उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर के पत्र कमांक / 664 दिनांक 16.01.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं भिजवा दी गई हैं । उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर ने अपने कथनों की ताईद में पत्र कमांक / 388 दिनांक 10.01.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। स्पष्ट है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचना उपलब्ध करा दी गई हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उप जिला निर्वाचन अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.02.14 12:34:07 IST
Reason: SelfAttested